

2017-18

सारणी-2 : प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शुल्क (रुपयों में)

क्र. सं.	मद	राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्रों से ली जाने वाली फीस		राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्राओं से ली जाने वाली फीस	
		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में	प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में
1.	राजकीय खाता : प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	200	--	200	--
2.	शिक्षण शुल्क	2075	2075	-	--
3.	अराजकीय खाता : अवधान द्रव्य (पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार)	1000	-	500	--
4.	विविध मद (परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, झाड़ंग शुल्क व पुस्तकालय शुल्क)	500	500	500	500
5.	पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस) शुल्क	500	500	500	500
6.	विद्यार्थी क्लब/विद्यार्थी सभा शुल्क	250	250	250	250
7.	खेलकूद शुल्क	250	250	250	250
8.	विकास शुल्क	2075	2075	2075	2075
	कुल	6850	5650	4275	3575
	कुल		12500		7850

मद	निजी संस्था, निजी जनसहभागिता संस्था एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु	
	प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त नवम्बर में
शिक्षण शुल्क	11000	11000
अवधान द्रव्य (पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार)	7500	-
विकास शुल्क	4400	4400
कुल	22900	15400
कुल		38300

* राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजिनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला/राज्य कर्मचारियों के आश्रित, जो आयकर नहीं देते/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

- नोट :**
1. उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है । यदि शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क जमा करवाना होगा ।
 2. निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटैक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा ।
 3. राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा ।
 4. अवधान द्रव्य राशि, जो पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दिये जायेंगे ।
 5. सीट-आवंटन पश्चात् अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार अंकित शुल्क में से केवल आंशिक शुल्क रू. 1000/- जमा करवाना होगा तथा शेष शुल्क राशि नकद के रूप में अंतिम आवंटित महाविद्यालय में जमा करानी होगी ।
 6. विभिन्न प्रावधानों के तहत शिक्षण शुल्क में छूट के लिये आवश्यकतानुसार परिशिष्ट- I एवं II प्रस्तुत करें ।

सारणी-3 : छात्रावास शुल्क

क्र.सं.	मद		राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान		विद्या भवन पॉलिटेक्निक, उदयपुर	
			प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
1	2		3	4	5	6
1.	कमरे का किराया		(क) राजकीय खाता			
		01 सीटेड	800	800	—	—
		02 सीटेड	500	500	90	90
		03 सीटेड	300	300	—	—
		04 सीटेड	—	—	72	72
2.	छात्रावास का अवधान द्रव्य		(ख) अराजकीय खाता			
			2000	—	30	—
3.	छात्रावास मैस खर्च अग्रिम धन		1000	—	—	—
4.	छात्रावास मैस सिक्यूरिटी		—	—	—	—
5.	पानी के खर्च का शुल्क		*	*	36	36
6.	बिजली के खर्च का शुल्क		*	*	वास्तविक	वास्तविक
7.	सामान्य कोष्ट शुल्क		500	500	—	—
8.	उपकरण व बर्तनों की मरम्मत एवं खरीद शुल्क		800	800	12	12
9.	विद्या भवन, उदयपुर के विविध मद (छात्रावास प्रवेश शुल्क, छात्रावास विकास डिस्पेंसरी छात्रावास)		—	—	88	78

* बिजली व पानी का शुल्क छात्रावास में स्थित मीटर के आधार पर बिल की राशिको सभी छात्रों में समान रूप से बांटकर वसूल किया जायेगा।

नोट:

उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। अतः जमा कराई जाने वाली फीस व छात्रावास सुविधा के सम्बन्ध में अन्तिम सूचना संबंधित प्रधानाचार्य से प्राप्त करें।